न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–

राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 42/2020

श्री भगवान पुत्र श्री अमरसिंह जाति अहिर निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– प्रार्थी

बनाम

1. निहाल सिंह पुत्र रामकुमार
2. जयपालसिंह पुत्र रामकुमार
3. अशोक पुत्र लालचन्द
4. प्रमोद पुत्र हरपालसिंह
   समस्त जाति जाट
5. बनारसी देवी पत्नि स्व0 सुमेरसिंह जाति अहीर
6. रमा पत्नि स्व0 लीलुराम
7. अनिता पुत्री स्व0 लीलुराम
8. सुनिता पुत्री स्व0 लीलुराम
9. रेखा पुत्री स्व0 लीलुराम जाति नाई समस्त निवासीयान सूरजगढ़ तहसील सरूजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए)
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनयम</u>
–:: निर्णय ::–

दिनांक –02.11.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

संक्षेप में तथ्य आवेदन पत्र इस प्रकार है कि सरहद ग्राम कासनी में स्थित कृषि भूमि खसरा न0 252 रकबा 1.13 है0 आवेदक की खुदकाश्त की खातेदारी की भूमि है, जिसमें पहुंच के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 09 की भूमि ख0न0 253 रकबा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

1.42 है0 भूमि में से प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है। जिसके उपरान्त न्यायलय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के निर्णय दिनांक 16.07.2015 के द्वारा भूमि ख0न0 252 वाके मौजा कासनी में आने-जाने के लिए भूमि ख0न0 253 की दक्षिणी दिशा में सीमा के सहारे-सहारे ए से बी तथा बी से सी बिन्दु तक 73 मीटर लम्बाई व 9 मीटर चौड़ाई कुल 657 वर्गमीटर भूमि (नजरी नक्शानुसार) में नया रास्ता कायम किया गया तथा डी0एल0सी0 दर के अनुसार राशि रूपये 70398 की दुगनी राशि रूपये 140796 आवेदक से जमा करवाकर पृथक से खसरा नम्बर व रकबा कायम करते हुए गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

उक्त निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दिनांक 16.07.2015 के विरूद्व माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर अपील की गई। जिस पर माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 24.12.2019 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए।

प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थी सं0 6 एवं 9 की और से श्री सोमवीर सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया एवं मौका जांच रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया । आपत्ति स्वीकार की गई। पुनः तहसीलदार सूरजगढ़ से रास्ते की मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्र क्रमांक राजस्व/2020/307 दिनांक 16.12.2020 के द्वारा भू0अ0 नि0 हल्का भावठड़ी, के साथ पटवारी हल्का जाखोद व पटवारी हल्का जीणी की टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भेजी गयी। जिसमें बताया की मुताबिक मौका नक्शा के सूरजगढ़ से लुहारू हाइवे सड़क से खातेदार श्री भगवान पुत्र अमरसिंह जाति अहीर के खेत ख0न0 252 तक पहुॅचने में ख0न0 1030/251 में 76 मीटर लम्बाई 09 मीटर चौड़ाई कुल 684 वर्गमीटर भूमि ख0न0 1030/251 के खातेदारों की कम होगी जो नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ता DEF दर्शाया गया है।

इसी प्रकार दूसरा वैकल्पिक रास्ता ख0न0 1030/251 से सीधा लुहारू सड़क पर ख0न0 252 तक जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते हेतु 74 मीटर लम्बाई, 09 मीटर चौड़ाई से कुल 666 वर्ग मीटर भूमि ख0न0 1030/251 के खातेदारों की कम होगी जो रास्ते के रूप में

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

जायेगी जो नजरी नक्शे GEF दर्शाया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते से खेत ख0न0 1030/251 के दो भाग बन जायेंगे।

इसी प्रकार तीसरा वैकल्पिक रास्ता ख0न0 1030/251 व 973/253 दोनों की सीमा के मध्य में प्रस्तावित है जो नजरी नक्शे में HK दर्शाया गया है जिसमें ख0न0 973/253 में 329 वर्गमीटर भूमि तथा ख0न0 1030/251 में 342 वर्गमीटर भूमि कुल 671 वर्गमीटर दोनों ख0न0 से कम होगी।

पूर्व में रास्ता ख0न0 973/253 में 73 मीटर लम्बाई व 09 मीटर चौडाई का कुल 657 वर्गमीटर भूमि जो मुख्य सड़क से ख0न0 252 में आने का प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम दूरी है। जिसे नजरी नक्शे में ABC रास्ता सबसे कम दूरी का है अन्य किसी भी तरफ से कोई कम दूरी वाला रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में ख0न0 253 रकबा 0.0657 है गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

अप्रार्थी संख्या 01 ने न्यायालय माननीय जिला कलक्टर महोदय के रिकार्ड मातहत अदालत तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे न्यायालय माननीय जिला कलक्टर महोदय ने खारीज फरमाया गया ।

अप्रार्थी संख्या 03 की और से श्री संदीप मान एड0 ने वकालतनामा पेश किया । शेष अप्रार्थीगण संख्या 01,2,4,5,7,8 की और से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074-77, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट।

बहस सुनी गई

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2020/307 दिनांक 16.12.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया की ख0न0 973/253 में 73 मीटर लम्बाई व 09 मीटर चौड़ाई का कुल 657 वर्गमीटर भूमि जो मुख्य सड़क से ख0न0 252 में आने का प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम दूरी है। जिसे नजरी नक्शे में ABC रास्ता सबसे कम दूरी का है अन्य किसी भी तरफ से कोई कम दूरी वाला रास्ता नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा भू0अ0नि0 हल्का भावठड़ी, के साथ पटवारी हल्का जाखोद व पटवारी हल्का जीणी की रिपोर्ट दिनांक 04.12.2020 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0न0 973/253 में से पूर्व में बना गैर मुमकिन रास्ता हाल ख0न0 253 में

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

73 मीटर लम्बाई व 09 मीटर चौड़ाई का कुल 657 वर्गमीटर भूमि जो मुख्य सड़क से ख0न0 252 में आने के लिए रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है तथा आपति मौका रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हाल ख0न0 253 रकबा 0.0657 है0 गैर मुमकिन रास्ता को यथावत रखा जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश::—

भूमि खेत ख0न0 252 रकबा 1.13 हैक्टर स्थित ग्राम कासनी तहसील सूरजगढ में चाहे गये रास्ते के लिए तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा भू0अ0 नि0 हल्का भावठड़ी के साथ पटवारी हल्का जाखोद व पटवारी हल्का जीणी की रिपोर्ट दिनांक 04.12.2020 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0न0 973/253 में से बना हाल ख0न0 253 गैर मुमकिन रास्ता में 73 मीटर लम्बाई व 09 मीटर चौड़ाई का कुल 657 वर्गमीटर भूमि का रास्ता यथावत रखा जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है की प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में ख0न0 253 रकबा 0.0657 है0 गैर मुमकिन रास्ता सरहद ग्राम कासनी के रूप में दर्ज है उसको यथावत रखा जावे और पूर्व में उक्त रास्ते की डी0एल0सी0 दर 70,398 की दुगनी राशि कुल 1,40,796 राजकोष में जमा करवायी गई थी उसको हिस्से अनुसार जाने वाली भूमि के खातेदारों को भुगतान की जावे। मौके पर ख0न0 253 रकबा 0.0657 है0 गैर मुमकिन रास्ता के अवरूद्व पाये जाने पर तुरन्त खुलवाया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner